उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ-226010

संख्या- 40/05/विज्ञापन अनु0(11)/2018/04-परीक्षा/2018

लखनऊः दिनांकः 22 अक्टूबर, 2021

आवश्यक सूचना

उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी0II 18 फरवरी, 2019 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप तथा उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 संख्या-1577/79-वि-1-20-1(क)-4-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा निर्गत अधिसूचना तथा इस संबंध में कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-2/2021/4/1/2002/का-2/19टी0सी0II के अन्तर्गत प्राप्त मार्गदर्शन के अनुक्रम में आयोग द्वारा निम्नलिखित विज्ञापनों से आच्छादित लिखित परीक्षाओं (जिसमें लिखित परीक्षा प्रारम्भ नहीं हुई है) के आयोजन से पूर्व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अनुमन्य 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से इन विज्ञापनों के आवेदनकर्ताओं की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी की सूचना पोर्टल के माध्यम से संकलित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

1- वि0सं0-23/परीक्षा-2016, सम्मिलित तकनीकी सेवा(सा0च0)परीक्षा-2016
2- वि0सं0-28/परीक्षा-2016, सम्मिलित अवर अभियन्ता एवं उपवास्तुविद (सा0च0) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2016(II)
3- वि0सं0-04/परीक्षा-2018, सम्मिलित अवर अभियन्ता, संगणक एवं फौरमेन(सा0च0) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2018
4- वि0सं0-06/परीक्षा-2018, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (संयुक्त संवर्ग) प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2018

22/10/2021

इस संबंध में उक्त विज्ञापनों से आच्छादित समस्त आवेदनकर्ताओं/अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि-

1- उक्त विज्ञापनों से आच्छादित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में चिन्हांकन किए जाने की आवश्यकता है। अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं भरी जानी है।
2- उक्त विज्ञापनों के संबंध में कोई नया आवेदन पत्र नहीं लिया जा रहा है।
3- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा इस श्रेणी का आरक्षण अनुमन्य न होगा।
4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में चिन्हांकन किए जाने का दावा किए जाने के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है।
5- उक्त विज्ञापनों से आच्छादित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथियाँ आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित की जाएगीं।

अतः **उक्त विज्ञापनों से संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Modify EWS Details सेगमेंट को क्लिक कर अपनी पंजीकरण संख्या आदि विवरण भरकर स्वयं के "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी" के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए दिनांक 22/11/2021 तक अपने आवेदन पत्र को संशोधित करना सुनिश्चित करें।**

22/10/2021

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
सचिव।